

बिहार सरकार
अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
सं0सं0-4/निदे0 अनु0जनजातिआ0वि0(रा0 स्कीम) संधा0 181-03/2026- 65

प्रेषक,

निदेशक

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
किशनगंज।

पटना, दिनांक-09/06/2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत किशनगंज जिलान्तर्गत संचालित डॉ0 भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय हालामाला, किशनगंज में यात्रा व्यय मदों में कुल ₹70,110/- (सत्तर हजार एक सौ दस रु0) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित प0 चम्पारण (बेतिया), जिलान्तर्गत संचालित पाँच अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों, भागलपुर, बांका, किशनगंज, अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय एवं +2 एकलव्य मॉडल आवासीय उच्च विद्यालय, प0 चम्पारण तथा जमुई के संधारणार्थ वेतनादि एवं अन्य मदों में कुल ₹18,00,00,000/- (अठारह करोड़ रु0) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-18 दिनांक-08.05.2026 द्वारा प्रदान किया गया है। उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में किशनगंज जिलान्तर्गत संचालित डॉ0 भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय हालामाला, किशनगंज में यात्रा व्यय मदों में कुल ₹70,110/- (सत्तर हजार एक सौ दस रु0) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2-आवंटित राशि का व्यय राज्य स्कीम से मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उप मुख्यशीर्ष-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0106-आवासीय विद्यालय-विषय शीर्ष-0106.11.01-यात्रा व्यय मद में मांग संख्या-44-विपत्र कोड संख्या-44-2225022770106 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3-इस आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे, तथा संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4-राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17-4-98 एवं पत्रांक-3576 दिनांक-01.04.2024 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

5- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

6-राशि की समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे तथा वे राशि के व्यय के पश्चात् व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

7-कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

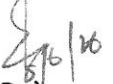
अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन
4/6/26
निदेशक

ज्ञापांक-4/निदे0 अनु0जनजातिआ0वि0(रा0 स्कीम) संधा0 181-03/2026- 65 पटना, दिनांक- 09/06/ प्रतिलिपि:- (1) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) जिला कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, किशनगंज/उप विकास आयुक्त, किशनगंज/उप निदेशक कल्याण, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/उप निदेशक (मु0), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सभी सहायक निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित प्रशाखा पदा0, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक